भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 566

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का अनुरक्षण

566. सुश्री कंगना रनौतः

श्री हरीभाई पटेलः

श्री प्रवीण पटेलः

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़कों की मरम्मत/विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से धनराशि उपलब्ध कराती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सीआरआईएफ के अंतर्गत धनराशि के वितरण एवं उपयोग का राज्य- वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत शुरू की गई सड़क विकास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) देश में सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत मंडी लोक सभा संसदीय क्षेत्र में जिया मणिकरण सड़क के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का ब्यौरा क्या है तथा इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को धन आवंटित करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के उपार्जन और निर्मुक्ति/ व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत/ अंतिम रूप दी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सड़क परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्तमान में, 37,098 करोड़ रुपये की लागत वाली लगभग 14,369 किलोमीटर लंबी 1,209 राज्यीय सड़क परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा।

(घ) मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क मार्च, 2014 में लगभग 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में लगभग 1,46,126 किलोमीटर हो गया है। 2014 की तुलना में वर्तमान में रारा की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ड.) जिया मणिकरण सड़क (किमी 1/610 से 35/110) पर बारिश से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 2023-24 के दौरान 38.86 करोड़ रुपये की लागत से कार्य स्वीकृत किया गया है और इसमें 70% प्रगति हुई है तथा यह दिसंबर, 2024 तक पूरा होगा।

'सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का अनुरक्षण' के संबंध में सुश्री कंगना रनौत, श्री हरीभाई पटेल, श्री प्रवीण पटेल, श्री नरेश गणपत म्हस्के और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2024 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **566** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के उपार्जन और निर्मुक्ति/ व्यय का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा: -

राशि करोड़ रुपये में

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		उपार्जित	निर्मुक्त	उपार्जित*	निर्मुक्त*	उपार्जित*	निर्मुक्त*
1	आंध्र प्रदेश	334.96	300.80	380.19	356.55	420.10	485.48
2	अरुणाचल प्रदेश	128.39	128.33	147.65	183.63	167.75	238.00
3	असम	143.80	77.51	169.64	122.82	194.65	223.24
4	बिहार	201.16	447.06	226.47	226.47	258.43	258.43
5	छत्तीसगढ़	245.74	230.29	281.12	86.92	320.19	353.60
6	गोवा	13.41	0.00	16.26	0.00	18.47	48.16
7	गुजरात	434.06	725.29	509.31	249.12	586.35	73.79
8	हरियाणा	177.05	163.71	197.73	0.00	205.63	108.60
9	हिमाचल प्रदेश	99.74	188.01	117.73	169.05	136.32	136.32
10	झारखंड	164.33	40.79	184.96	81.56	207.57	192.64
11	कर्नाटक	443.11	442.90	513.13	465.27	608.06	660.91
12	केरल	126.77	126.71	147.19	133.46	171.14	186.37
13	मध्य प्रदेश	556.21	622.93	632.99	573.96	719.10	778.13
14	महाराष्ट्र	683.80	390.27	783.19	1,084.15	886.63	886.63
15	मणिपुर	36.60	13.43	42.10	13.81	48.37	146.98
16	मेघालय	40.63	90.55	47.51	43.08	54.83	78.42
17	मिजोरम	33.14	22.06	38.20	10.96	43.62	35.60
18	नागालैंड	27.02	27.00	31.31	28.39	35.54	46.09
19	ओडिशा	298.67	535.07	340.95	313.52	387.41	423.41
20	पंजाब	149.41	193.35	176.96	106.84	195.33	72.04
21	राजस्थान	627.89	148.40	715.82	906.62	812.41	745.90
22	सिक्किम	12.06	25.78	14.09	17.04	16.27	28.04
23	तमिलनाडु	350.32	350.15	402.67	377.63	457.11	486.15
24	तेलंगाना	262.01	261.88	304.27	275.89	335.09	366.38
25	त्रिपुरा	18.49	33.76	21.23	19.42	23.94	25.92
26	उत्तर प्रदेश	616.59	616.29	702.42	658.75	777.40	821.07
27	उत्तराखंड	98.85	98.80	114.01	378.17	129.83	140.46
28	पश्चिम बंगाल	213.97	287.06	240.31	217.90	275.67	298.08
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.17	10.08	17.49	15.81	19.75	16.68
30	चंडीगढ़	4.76	0	6.55	0.00	7.39	
31	दादरा एवं नगर हवेली	4.80	2.38	5.74	0.31	6.50	0.00
32	दमन और दीव						
33	दिल्ली	27.20	0	32.06	0.00	36.31	
34	जम्मू और कश्मीर	96.91	321.18	113.61	343.61	128.67	206.67
35	लद्दाख	250.83	0.00	289.06	83.44	326.41	68.10
36	पुदुचेरी	7.39	5.18	10.39	7.83	11.76	9.94

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य द्वारा उपार्जित निधि से अधिक निधि उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से जारी की गई है।

*** सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी धनराशि भी शामिल है।**

'**सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का अनुरक्षण**' के संबंध में सुश्री कंगना रनौत, श्री हरीभाई पटेल, श्री प्रवीण पटेल, श्री नरेश गणपत म्हस्के और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2024 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **566** के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में सीआरआईएफ योजना के तहत स्वीकृत/अंतिम रूप दी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा: -

लंबाई किलोमीटर में, लागत करोड़ रुपये में				
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**लंबाई**	**लागत**
2021-22				
1	अरुणाचल प्रदेश	27	294	553
2	छत्तीसगढ़	15	316	846
3	गोवा	6	75	81
4	हरियाणा	1	24	99
5	हिमाचल प्रदेश	13	94	238
6	मध्य प्रदेश	24	600	1,893
7	महाराष्ट्र	276	1,597	2,231
8	मेघालय	15	127	257
9	मिजोरम	1	10	47
10	ओडिशा	35	619	1,727
11	पंजाब	5	24	272
12	राजस्थान	81	1,607	2,046
13	तेलंगाना	48	612	879
14	उत्तराखंड	42	370	615
15	लद्दाख	17	422	297
16	पुदुचेरी	4	41	33
2022-23				
1	आंध्र प्रदेश	37	391	1,270
2	अरुणाचल प्रदेश	3	0	33
3	बिहार	27	122	1,542
4	छत्तीसगढ	6	0	315
5	हरियाणा	11	279	724
6	हिमाचल प्रदेश	1	0	103
7	झारखंड	17	216	1,128
8	कर्नाटक	22	0	785
9	केरल	37	404	673
10	मध्य प्रदेश	39	651	3,047
11	महाराष्ट्र	171	943	2,978
12	मेघालय	2	0	0
13	ओडिशा	6	0	361
14	पंजाब	23	372	627
15	राजस्थान	14	0	674
16	तमिलनाडु	51	103	1,002
17	तेलंगाना	5	0	433
18	उत्तर प्रदेश	17	80	1,095
19	उत्तराखंड	6	1	194
20	पश्चिम बंगाल	14	346	997
2023-24				
1	आंध्र प्रदेश	3	40	108
2	अरुणाचल प्रदेश	25	88	316

लंबाई किलोमीटर में, लागत करोड़ रुपये में				
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**लंबाई**	**लागत**
3	असम	7	76	425
4	छत्तीसगढ	1	0	42
5	गोवा	1	1	92
6	गुजरात	49	577	1,905
7	हिमाचल प्रदेश	5	73	295
8	कर्नाटक	317	2,056	2,170
9	मध्य प्रदेश	11	54	698
10	महाराष्ट्र	89	663	1,900
11	मणिपुर	8	58	153
12	नागालैंड	8	39	103
13	पंजाब	1	0	83
14	राजस्थान	112	2,397	3,591
15	सिक्किम	13	33	50
16	तेलंगाना	37	498	977
17	त्रिपुरा	6	22	77
18	उत्तराखंड	13	439	259
19	दिल्ली	1	3	9
20	लद्दाख	37	469	1,352

'सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का अनुरक्षण' के संबंध में सुश्री कंगना रनौत**,** श्री हरीभाई पटेल**,** श्री प्रवीण पटेल, श्री नरेश गणपत म्हस्के और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2024 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **566** के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2014 की तुलना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण : -

			लम्बाई किमी में
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**31.03.2014 तक रारा की कुल लंबाई**	**30.06.2024 तक मौजूदा रारा की लंबाई**
1	आंध्र प्रदेश	4,190	8,683
2	अरुणाचल प्रदेश	2,027	4,367
3	असम	3,634	4,077
4	बिहार	4,467	6,132
5	चंडीगढ़	24	15
6	छत्तीसगढ	3,031	3,620
7	दिल्ली	80	157
8	गोवा	269	299
9	गुजरात	4,694	8,099
10	हरियाणा	2,050	3,394
11	हिमाचल प्रदेश	2,196	2,607
12	जम्मू और कश्मीर	1,513	1,935
13	झारखंड	2,968	3,633
14	कर्नाटक	6,177	8,191
15	केरल	1,700	1,858
16	लद्दाख	806	806
17	मध्य प्रदेश	5,116	9,105
18	महाराष्ट्र	6,249	18,447
19	मणिपुर	1,452	1,840
20	मेघालय	1,171	1,156
21	मिजोरम	1222	1,499
22	नागालैंड	741	1,670
23	ओडिशा	4550	5,897
24	पुदुचेरी	53	64
25	पंजाब	1699	4,239
26	राजस्थान	7646	10,706
27	सिक्किम	149	709
28	तमिलनाडु	4975	7,000
29	तेलंगाना	2400	4,926
30	त्रिपुरा	509	889
31	उत्तर प्रदेश	7986	12,141
32	उत्तराखंड	2282	3,664
33	पश्चिम बंगाल	2908	3,910
34	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	300	331
35	दादरा एवं नगर हवेली	31	37
36	दमन और दीव	22	22
	कुल	**91,287**	**146,126**

*****